



केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन)
गंगानाथ झा परिसर, चन्द्रशेखर आजाद पार्क
प्रयागराज-211002 (उ.प्र.)

दिनांक -27.08.2026

कार्यालय सूचना सं.- 2026/11

विज्ञापन संख्या-03/Multidisciplinary/2026 दिनांक-17.08.2026 के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के विषम सत्रार्द्ध हेतु बहुशास्त्रीय संस्कृत अध्ययन के 02 अंशकालिक शिक्षकों के लिए दिनांक-02.09.2026 (बुधवार) को आयोजित साक्षात्कार को अपरिहार्य कारणों से अग्रिम सूचना तक के लिए स्थगित किया जाता है।

उक्त पदों हेतु साक्षात्कार की तिथि बाद में अलग से परिसरीय वेबसाइट में प्रकाशित की जायेगी।

परिसरीय वेबसाइट - <https://www.csu-prayagraj.res.in/>

(प्रो. जनार्दन प्रसाद पाण्डेय 'मणि')
निदेशक (प्र.)

प्रतिलिपि-

1. सूचनापट्ट
2. परिसरीय वेबसाइट
3. तकनीकी सहायक (समर्थ)
4. लेखा विभाग
5. कार्यालय सूचना पञ्जिका/ सञ्चिका
6. सम्बन्धित सञ्चिका

(प्रो. जनार्दन प्रसाद पाण्डेय 'मणि')
निदेशक (प्र.)



केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन)
गंगानाथ झा परिसर, चन्द्रशेखर आजाद पार्क
प्रयागराज-211002 (उ० प्र०)

दिनांक-27.08.2026

सूचना

विज्ञापन संख्या-03/Multidisciplinary/2026
दिनांक 17.08.2026 के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के
विषम सत्रार्द्ध हेतु बहुशास्त्रीय संस्कृत अध्ययन के 02
अंशकालिक शिक्षकों के लिए दिनांक-02.09.2026
(बुधवार) को आयोजित साक्षात्कार को अपरिहार्य
कारणों से अग्रिम सूचना तक के लिए स्थगित किया
जाता है।

उक्त पदों हेतु साक्षात्कार की तिथि बाद में अलग से
परिसरीय वेबसाइट में प्रकाशित की जायेगी।

परिसरीय वेबसाइट - <https://www.csu-prayagraj.res.in/>

निदेशक (प्र.)

हर व्यक्ति को मिलेगा डिजिपिन, डाक विभाग जल्द शुरू करेगा व्यापक अभियान

डिजिपिन पते को नई पहचान देगा

तैयारी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। डाक विभाग देशभर में लोगों के पतों की पहचान को अधिक सटीक बनाने के लिए डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर (डिजिपिन) पर काम कर रहा है। इसके जरिए हर व्यक्ति के पते को डिजिटल पहचान देने के लिए डिजिपिन दिया जाएगा।

इसके बाद डाक विभाग और अन्य मंत्रालयों की सेवाएं सटीक तरीके से लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। डिजिपिन आधार नंबर, पैन नंबर की तरह एक कोड होगा, जिसमें किसी भी व्यक्ति का पता दर्ज होगा।

डिजिपिन की सबसे बड़ी खासियत होगी कि किसी भी सामान का ऑर्डर करते वक्त व्यक्ति को अपना पूरा पता लिखने की जरूरत नहीं होगी। बस डिजिपिन लिखना होगा और संबंधित व्यक्ति का ऑर्डर निर्धारित पते पर पहुंच जाएगा। डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि डिजिपिन को लेकर व्यापक स्तर पर काम चल रहा है। इसके लाभ अकेले डाक विभाग को

डाक विभाग दो वर्ष के लिए चलाएगा अभियान

लोग अपना स्वयं का डिजिपिन तैयार कर सकें इसके लिए आने वाले दिनों में डाक विभाग दो वर्ष का एक विशेष अभियान चलाएगा, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वह अपना डिजिपिन बनाकर उसमें स्थाई और अस्थायी पता दर्ज करें। एक बार डिजिपिन बनने पर उसे पता बदलने की भी सुविधा रहेगी। अभियान शुरू करने को लेकर तैयारी चल रही है।

डाकिया समय पर पहुंच पाएगा डाक

डाक विभाग के लिहाज से देखा जाए तो डिजिपिन के माध्यम से डाक किसी भी व्यक्ति की सटीक लोकेशन का पता कर पाएगा और वहां पर निर्धारित समय पर डाक पहुंच पाएगा। इसके लिए डाकिए को सिर्फ डाक लिफाफे पर दर्ज डिजिपिन को मोबाइल ऐप पर दर्ज करना होगा। उसके बाद मीप उस जगह की सटीक लोकेशन खोजकर देगा। डिजिपिन को अतिरिक्त पते के रूप में इस्तेमाल करने से भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी जीआईएस आधारित सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।

नहीं, बल्कि अन्य विभागों को भी मिलेगा। इसलिए सभी मंत्रालयों और विभागों की भी जोड़ा जा रहा है, जिससे कि उनकी सेवाएं और योजनाओं का लाभ भी डिजिपिन के जरिए आप लोगों तक



क्या है डिजिपिन की आधुनिक व्यवस्था

डिजिपिन एक ओपन-सोर्स, इंटरऑपरेबल, जियो-कोडेड, ग्रिड-आधारित डिजिटल एड्रेस सिस्टम है जिसे डाक विभाग ने आईआईटी हैदराबाद और एनआरएससी इसरो के सहयोग से विकसित किया है। यह किसी स्थान की सटीक भौगोलिक स्थिति को एक डिजिटल कोड से जोड़ता है। डिजिपिन से सामान की डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, आपातकालीन सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ सही स्थान तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में इससे अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में आसानी होगी। इसलिए यूपीआई की तर्ज पर डिजिपिन का एक ढांचा तैयार किया जाएगा। जहां से डिजिपिन से जुड़े कार्यों का संचालन और निगरानी होगी।

अभियानों में यह अनिवार्य कर दे कि जिस व्यक्ति को टीका लग रहा है, उसका डिजिपिन फीड करना जरूरी है तो विभाग को हर पल सटीक जानकारी मिलती रहेगी कि किस व्यक्ति को टीका लगाया है।

मैं गारंटर हूं, मामला बस ₹3,992 करोड़ का: चंद्रा

नई दिल्ली, एजेंसी। मीडिया क्षेत्र के दिग्गज सुभाष चंद्रा ने गुरुवार को कहा कि व्यक्तिगत दिवाला कार्यवाही में उनके खिलाफ कुल दावा केवल 3,992 करोड़ रुपये का है और वह केवल व्यक्तिगत गारंटर थे, कर्ज लेने वाले नहीं। चंद्रा ने उनके खिलाफ 22,000 करोड़ रुपये से अधिक के

बकाया पर कर्जदाताओं के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी कर्जदाता से कोई पैसा उधार नहीं लिया है।

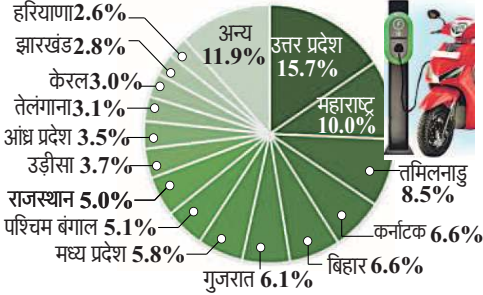
उन्होंने बयान में कहा कि इसमें से 620 करोड़ रुपये का दावा निपटारा जा चुका है, जबकि कर्ज लेने वाली संस्थाओं ने 1,063 करोड़ रुपये और

चुकाने की पेशकश की है। बयान में कहा गया कि निज कर्ज लेने वाली इकाइयों के लिए चंद्रा ने व्यक्तिगत गारंटी दी थी, उन्होंने अब तक 43,000 करोड़ रुपये चुका दिए हैं। इन इकाइयों ने यह भी आश्वासन दिया है कि यदि कोई अन्य राशि बकाया रह गई है तो उसका भी

निपटारा किया जाएगा। उधर सूत्रों ने एनसीएलटी के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि एनसीएलटी द्वारा सुभाष चंद्रा की पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी देने का यह मतलब नहीं है कि बैंकों ने 22,000 करोड़ रुपये के कर्ज में से 99.97 प्रतिशत कर्ज को डीड दिया है।

यूपी में सबसे अधिक दोपहिया वाहनों की बिक्री

देशभर में पहली तिमाही के दौरान दोपहिया की बिक्री



नई दिल्ली, एजेंसी। देश में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 12.74 लाख यात्री वाहन बिके। पश्चिमी क्षेत्र 3.9 लाख वाहनों की बिक्री के साथ सबसे आगे रहा। वाहन निर्माताओं के संगठन सियाम के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों की बिक्री में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा जबकि महाराष्ट्र में सबसे अधिक यात्री एवं वाणिज्यिक वाहन बिके।

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में देश में 56.29 लाख दोपहिया वाहन बिके। पश्चिमी क्षेत्र 16.61 लाख वाहनों की बिक्री के साथ सबसे आगे रहा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 8,82,047 दोपहिया वाहन बिके। इसके बाद

महाराष्ट्र में 5,61,738, तमिलनाडु में 4,80,653, कर्नाटक में 3,74,221 और बिहार में 3,69,302 दोपहिया वाहन बिके। इसके अलावा, महाराष्ट्र में सबसे अधिक 1,47,440 यात्री वाहन बिके। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 1,35,329, गुजरात में 98,785, कर्नाटक में 98,315 और तमिलनाडु में 96,327 यात्री वाहन बेचे गए। वाणिज्यिक वाहन श्रेणी में देश में 2.65 लाख वाहन बिके। इस श्रेणी में भी पश्चिमी क्षेत्र 91,000 वाहनों की बिक्री के साथ सबसे आगे रहा। महाराष्ट्र 36,433 वाहनों की बिक्री के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद तमिलनाडु में 24,743, कर्नाटक में 21,830, गुजरात में 21,778 और उत्तर प्रदेश में 21,161 वाणिज्यिक वाहन बिके।

दोपहिया में लो-बीम वाली लाइट लगानी जरूरी होगी

नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए दोपहिया वाहनों में 'ऑटोमेटिक हेडलेट' को केवल पॉसिंग बीम वाली लो-बीम मोड में संचालित करने की अनिवार्यता का प्रस्ताव रखा है। इस व्यवस्था को एक अप्रैल, 2028 से लागू करने के कारण अन्य वाहन चालकों को होने वाली परेशानियों को कम करना और उनके लिए दृश्यता बेहतर करना है।

कनाडा से निवेश बढ़ाने का आग्रह

वॉशिंगटन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सन लाइफ फ़ाइनेशियल और कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड (सीपीपीआइबी) समेत कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके निवेश को बढ़ाने का आग्रह किया। टोरंटो में सन लाइफ फ़ाइनेशियल के अध्यक्ष एवं सीईओ कैथिन डी. स्टैन के साथ द्विपक्षीय बैठक में सीतारमण ने बीमा क्षेत्र के उदारीकरण का उल्लेख किया।

मिनटों में हुई सैंसेक्स की तेज उठापटक

नई दिल्ली, एजेंसी। शेयर बाजार में गुरुवार को कारोबार के आखिरी मिनटों में असाधारण उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 3:17 बजे 77,200 के स्तर पर था, लेकिन अगले छह मिनट में यह गिरकर करीब 74,983 पर पहुंच गया। यानी सूचकांक में 2,000 से ज्यादा अंकों का उतार-चढ़ाव आया। हालांकि इसके बाद सेंसेक्स ने तेजी से वापसी की और 76,933 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 0.70 फीसदी और निफ्टी 0.48 फीसदी नीचे रहा।

इस अचानक हलचल ने समापन नीलामी सत्र यानी सीएसएस की नई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएसएस को तीन अगस्त 2026 से लागू किया गया है। इसके तहत शेयरों का अंतिम बंद भाव पहले की तरह आखिरी 30 मिनट के वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से तय नहीं होता, बल्कि नीलामी में खरीद और बिक्री के ऑर्डर के आधार पर तय होता है। इसका उद्देश्य बेहतर मूल्य हासिल करना और अधिक पारदर्शी बंद भाव उपलब्ध कराना है।

गुरुवार की घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नए सीएसएस के तहत पहली मासिक वायदा कटान थी।



सीएसएस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं: सेबी प्रमुख

सेबी के चेयरमैन वृ्धिन कांत पांडेय ने गुरुवार को कहा कि बाजार नियामक हाल में लागू 'समापन नीलामी सत्र' (सीएसएस) व्यवस्था में फिलहाल कोई बदलाव नहीं करेगा। यह उसी तरह चल रही है। इसमें भागीदारी बढ़ेगी और सभी ब्रोकर अपने ऐप में इसे उपलब्ध कराएंगे। बाजार में हेराफेरी रोकने के लिए तीन अगस्त से सीएसएस लागू किया था। इसमें कारोबारी सत्र समाप्त होने से पहले निर्धारित समय में खरीद और बिक्री के ऑर्डर एकत्र किए जाते हैं और नीलामी आधारित ऑर्डर मिलान प्रक्रिया से उनका निष्पादन किया जाता है।

कटान के दिन बंद भाव का असर वायदा और विकल्प के निपटान पर पड़ता है।

भारतीय रेल द्वारा अपने सम्मानित रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित विशेष रेलगाड़ियों के अतिरिक्त फेरो के संचालन का निर्णय लिया गया है, यह गाड़ी अपने पूर्व निर्धारित समय, दिन, संरचना, ठहराव एवं मार्ग पर चलेंगी, जिसका विवरण निम्नवत है:-					
गाड़ी सं. 01925/01926 कानपुर सेंट्रल-मुदरै विशेष रेलगाड़ी					
गाड़ी सं.	कहाँ से- कहाँ तक	आवृत्ति	संचालन का दिन	पूर्व अधिसूचित तिथि	विस्तारित तिथि
01925	कानपुर सेंट्रल-मुदरै	साप्ताहिक	बुधवार	26.08.2026	02.09.2026 से 25.11.2026
01926	मुदरै-कानपुर सेंट्रल	साप्ताहिक	शनिवार	29.08.2026	05.09.2026 से 28.11.2026
गाड़ी सं. 04123/04124 प्रयागराज-हज़रत निजामुद्दीन विशेष रेलगाड़ी					
04123	प्रयागराज-हज़रत निजामुद्दीन	सप्ताह में 02 दिन	बुध, एवं रविवार	30.08.2026	02.09.2026 से 29.11.2026
04124	हज़रत निजामुद्दीन-प्रयागराज	सप्ताह में 02 दिन	गुरु, एवं सोम.	31.08.2026	03.09.2026 से 30.11.2026
गाड़ी संरचना: स्लीपर श्रेणी-09, सामान्य श्रेणी-09, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी-01, वातानुकूलित प्रथम सह तृतीय श्रेणी-01					
नोट: ट्रेनों की समय-सारणी से सम्बंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन 139 या Rail madad Mobile App या वेबसाइट railmadad.indianrailways.gov.in का प्रयोग करें।					
   उत्तर मध्य रेलवे    1992/26 (PH)					

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF CULTURE	
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA	
Office of Superintending Archaeologist, 22 Mall Road, Agra Circle, Agra. (UP)	
ENGAGEMENT OF LEGAL CONSULTANT ON CONTRACT BASIS	
Applications are invited for engagement of a Legal Consultant on contract basis in the Office of Superintending Archaeologist, 22 Mall Road, Agra Circle, Agra & Meerut Circle, Meerut. (UP). Application in all respect must reach within 20 days from the dated of advertisement.	
Essential Eligibility Conditions:-	
Essential Qualification: Bachelor's Degree in Law (L.L.B.) from a recognized University/Institution and enrolled with any State Bar Council to practice as an advocate.	
Age: He/She must be below the age of 65 years on the date of advertisement for this post.	
Experience: Possesses at least ten (10) years experience in handling court cases related to administrative matters in Central Administrative Tribunal (CAT) or High Courts/Supreme Courts and on labour related issues in CGIT on continuous basis. The candidate should be proficient in working on MS word and other computer applications. Knowledge of English & Hindi drafting is mandatory	
Desirable: Candidate having experience in working in a Government/Autonomous organizations/PSUs will be preferred.	
For detailed advertisement, eligibility criteria, terms & conditions, remuneration and application format, visit: www.asiagrarcircle.in .	
SUPERINTENDING ARCHAEOLOGIST Archaeological Survey of India, Agra Circle, Agra.	

 उ० प्र० लोक सेवा आयोग	
संक्षिप्त विज्ञप्ति	
आयोग के विज्ञापन संख्या-ए-9/ई-1/2025, दिनांक 03.11.2025 के अन्तर्गत विज्ञापित शोध सहायक (अभियंत्रण) परीक्षा-2025, दिनांक 08 सितम्बर, 2026 (मंगलवार) को दो सत्रों में (पूर्वार्ध 09:30 बजे से 11:30 बजे तक एवं अपरार्ध 02:30 बजे से 05:30 बजे तक) लखनऊ जनपद में आयोजित की जानी है। प्रश्नपत्र परीक्षा से सम्बंधित अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है।	
संख्या:- 01/08(01)/एस-2/डी0/2022-23	(हर्ष देव पाण्डेय)
दिनांक: प्रयागराज, 27 अगस्त, 2026	परीक्षा नियंत्रक

भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय	
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	
कार्यालय अधीक्षण पुरातत्वविद्, आगरा मण्डल, आगरा 22, मॉल रोड, आगरा	
संविदा आधार पर विधि सलाहकार (LEGAL CONSULTANT) की नियुक्ति	
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आगरा एवं मेरठ मण्डल के कार्यालयों हेतु एक (01) विधि सलाहकार की संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञापन की तिथि से 20 दिनों के अन्दर आवेदन पत्र इस कार्यालय में जमा कर देना होगा।	
अनिवार्य पात्रता शर्तें:-	
शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि स्नातक (एल.एल.बी.) की डिग्री तथा अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने हेतु किसी भी राज्य बार काउंसिल में नामांकन (Enrolment) अनिवार्य है।	
आयु: विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि को अभ्यर्थी की आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।	
अनुभव: अभ्यर्थी को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में प्रशासनिक मामलों तथा केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (CGIT) में श्रम संबंधी मामलों की पैरवी/निस्तारण का न्यूनतम 10 (दस) वर्ष का सतत अनुभव होना चाहिए। अभ्यर्थी को एम.एस. चर्ड (MS Word) एवं अन्य कंप्यूटर अनुप्रयोगों का समुचित ज्ञान एवं कार्यकुशलता होना आवश्यक है। अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं का लिखने एवं पढ़ने का ज्ञान होना आवश्यक है।	
वांछनीय केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। विस्तृत विज्ञापन, पात्रता, नियम एवं शर्तें, पारिश्रमिक तथा आवेदन-पत्र का प्रारूप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वेबसाइट www.asiagrarcircle.in पर उपलब्ध है।	
अधीक्षण पुरातत्वविद्, आगरा मण्डल, आगरा।	

कार्यालय जिला पंचायत, प्रयागराज	
पत्रांक: 1230 (9)/जि040प्रया0/खनिज-ठेका/ई-आव्हान/2026-27	दिनांक: 27.08.2026
खनिज परिवहन ई-आव्हान-नीलामी सूचना	
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत प्रयागराज के प्रबंधाधीन मिट्टी बोल्डर एवं बालू मोरंग खनिज परिवहन वसूली का ठेका, वित्तीय वर्ष 2026-27 (01 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक) के लिए दिनांक 24.09.2026 को ई-ऑक्शन आमंत्रित किया जाता है। जिसकी विस्तृत विवरण दिनांक/समय/तहसील/मानक धनराशि/जमानत धनराशि/एवं शर्तें, ई-ऑक्शन पोर्टल http://eauction.gov.in पर देखी एवं पढ़ी जा सकती है तथा प्रतिभाग किया जा सकता है। साथ ही कार्यालय कार्य दिवस में कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।	
अभियन्ता	अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, प्रयागराज	जिला पंचायत, प्रयागराज

 रक्षाबंधन विशेष रेलगाड़ी का संचालन	
रेल प्रशासन द्वारा अपने सम्मानित रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गाड़ी संख्या 04165/04166 प्रयागराज-शक्र बस्ती रक्षाबंधन सप्ताहिक विशेष रेलगाड़ी के संचालन का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-	
गाड़ी सं. 04165 प्रयागराज-शक्र बस्ती	गाड़ी सं. 04166 शक्र बस्ती-प्रयागराज
आगमन	प्रस्थान
-----	20:00
21:15	21:17
22:20	22:25
00:55	00:57
02:20	02:22
04:50	04:52
08:15	08:25
10:00	-----
प्रयागराज से: गाड़ी संख्या 04165, दिनांक: 29.08.2026, शक्रबस्ती से: गाड़ी संख्या 04166, दिनांक: 30.08.2026	
गाड़ी संरचना: स्लीपर श्रेणी: 09, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी: 02, सामान्य श्रेणी: 06	
नोट:- ट्रेन से सम्बंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नं० 139 या Rail Madad Mobile App या वेबसाइट railmadad.indianrailways.gov.in का प्रयोग करें।	
   उत्तर मध्य रेलवे    1996/26(AK)	

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज (खनन अनुभाग)	
पत्रांक: 1512/खनिज/2026-27	दिनांक: 25.08.2026
शुद्धि पत्र	
कार्यालय पत्र संख्या- 1462/खनिज/2026-27 दिनांक 20.08.2026 द्वारा जनपद प्रयागराज में उपलब्ध ईमार्गरी पथर सैंड स्टोन यथा (गिट्टी/बोल्डर/खण्डा) के 05 रिक्त क्षेत्रों को उद्भद्र उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अध्याय-4 के अन्तर्गत ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञापित किया गया है, जिसमें ई-निविदा सह ई-नीलामी की कालयोजना के प्रथम चरण ई-निविदा (ई-टेण्डर) की अवधि दिनांक 23.09.2026 के पूर्वाह्न 10-00 से दिनांक 26.09.2026 के सायं 05-00 बजे तक का समय दिया गया है किन्तु दिनांक 26.09.2026 को दिन शनिवार पड़ रहा है। दिनांक 26.09.2026/शनिवार को एम0एस0एस0टी0 का कार्यलय बन्द है, जिसके कारण ई-टेण्डर की प्रक्रिया में असुविधा उत्पन्न होगी।	
अतः उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये ई-निविदा (ई-टेण्डर) एवं ई-नीलामी के समय सारणी को निम्न तालिका के अनुसार जारी किया जा रहा है:-	
(7) ई-निविदा सह ई-नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी:-	
प्री बिड ई0एम0डी0 एवं आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	ई-निविदा से पूर्व एम.एस.टी.सी. में अपेक्षित प्री-बिड ई.एम.डी. एवं आवेदन शुल्क एम.एस.टी.सी. की वेब साईट पर वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार जमा करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की है एवं अन्तिम तिथि
प्रेस विज्ञापित का दिनांक	प्रथम दिन
प्रथम चरण ई निविदा (ई-टेण्डर) की अवधि	दिनांक 23.09.2026 के पूर्वाह्न 10-00 बजे से दिनांक 28.09.2026 के सायं 05-00 बजे तक
प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	दिनांक 29.09.2026 को पूर्वाह्न 10-00 बजे से क्रमांक 01 पर विज्ञापित क्षेत्र दिनांक 30.09.2026 को पूर्वाह्न 10-00 बजे से क्रमांक 02 पर विज्ञापित क्षेत्र दिनांक 30.09.2026 को पूर्वाह्न 10-00 बजे से क्रमांक 03 पर विज्ञापित क्षेत्र दिनांक 01.10.2026 को पूर्वाह्न 10-00 बजे से क्रमांक 04 पर विज्ञापित क्षेत्र
द्वितीय चरण की ई-नीलामी की अवधि	दिनांक 29.09.2026 को पूर्वाह्न 12-00 बजे से 02.00 बजे तक क्रमांक 01 पर विज्ञापित क्षेत्र दिनांक 30.09.2026 को पूर्वाह्न 03-00 बजे से 05.00 बजे तक क्रमांक 02 पर विज्ञापित क्षेत्र दिनांक 30.09.2026 को पूर्वाह्न 12-00 बजे से 02.00 बजे तक क्रमांक 03 पर विज्ञापित क्षेत्र दिनांक 01.10.2026 को पूर्वाह्न 12-00 बजे से 02.00 बजे तक क्रमांक 04 पर विज्ञापित क्षेत्र
विज्ञापित संख्या- 1462/खनिज/2026-27 दिनांक 20.08.2026 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।	
(मनीष कुमार वर्मा) जिलाधिकारी, प्रयागराज	